FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज़ अदालत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

सरकार बनाम थानसिंह

किस्म मुकदमा. इस्तगासा (राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम) मुकदमा न0 01/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
29.01.2026	पत्रावली पेश हुई। लोक अभियोजक उपस्थित। वकील गैरसायल व गैरसायल अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैरसायल थानसिंह पुत्र पूरनसिंह जाति ठाकुर निवासी पीपला थाना चिकसाना जिला भरतपुर के विरूद्ध थानाधिकारी चिकसाना ने जरिये पुलिस अधीक्षक भरतपुर इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 152 दिनांक 09.01.2017 को पेश किया गया। जिसमें गैरसायल के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 149/13, 231/15 तथा 271/2013 में धारा 13 आरपीजीओ एक्ट के प्रकरणों में जुर्माना से दण्डित किया जा चुका है। गैरसायल के चाल–चलन के सबंध में थाना अधिकारी चिकसाना से रिपोर्ट चाही गई किन्तु थानाधिकारी चिकसाना के द्वारा गैरसायल के चाल–चलन की रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई है तथा प्रकरण में साक्ष्य इस्तगासाओ के बयानात हेतु तलब किया गया किन्तु एक साक्ष्य इस्तगासा साक्ष्य हेतु उपस्थित हुये और शेष साक्ष्य इस्तागासाओ की तलवी बार–बार किये जाने पर भी कोई उपस्थित नही आया और उनकी साक्ष्य बंद की जाकर सुना गया। इस्तगासा में अंकित मुकदमात वर्ष 2013 व 2015 के है। जिनमें गैरसायल को जुर्माने से दण्डित किया जाना अवगत कराया गया है। अभिभाषक गैरसायल द्वारा भी अपने जबाब में अंकित किया है कि अप्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने से उसका भविष्य व जीवन बर्बाद हो जावेगा तथा परिवार व समाज में विपरीत असल उत्पन्न होगा। पत्रावली में वर्ष 2017 के बाद आज तक कोई ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य नही है जिससे कि गैरसायल के विरूद्ध वर्तमान में भी गुण्डा एक्ट अपराधिक धारा किया गया कृत्य साबित होता हो। थानाधिकारी थाना चिकसाना ने गैरसायल के विरूद्ध चाल–चलन एवं चरित्र की रिपोर्ट प्रस्तुत न करने से यह स्पष्ट होता है कि उसका चरित्र सही होना प्रतीत होता है। इससे जाहिर होता है कि गैरसायल के विरूद्ध वर्तमान में कोई भी प्रकरण दर्ज नही हुआ है। ऐसी स्थिति मे गैरसायल के विरूद्ध कोई कार्यवाही किया जाना संभव नही है तथा 13 आरपीजीओ एक्ट में 8 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी गैरसायल के विरूद्ध कोई प्रकरण दर्ज होने की सूचना प्राप्त नही हुई है। वर्तमान में समाज पर किसी प्रकार का कोई भी कुप्रभाव दृष्टिगोचर नही होता है। ऐसी स्थिति में कोई कार्यवाही गैरसायल के विरूद्ध किया जाना उचित नही पाते है। गैरसायल के विरूद्ध प्राप्त इस्तगासा इसी स्तर पर खारिज किया जाना उचित पाते है, अतः इस्तागासा खारिज किया जाकर पत्रावली बाद तक्मील दाखिल दफ्तर हो।	